भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3163
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

नई न्याय संहिता

3163. श्री बलभद्र माझी :
क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या नई न्याय संहिता त्वरित न्याय देने में उपयोगी और सहायक रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(ख) यदि नहीं, तो इसमें आने वाली बाधाओं का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : नवीन न्याय संहिता त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए निम्नलिखित तंत्र प्रदान करती है:

i. त्वरित और निष्पक्ष समाधान: नई विधियां मामले में त्वरित और निष्पक्ष समाधान का वादा करती हैं, जिससे विधिक तंत्र में विश्वास पैदा होता है। अन्वेषण और सुनवाई के महत्वपूर्ण चरण निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरे किए जाने हैं - प्रारंभिक जांच (14 दिनों में पूरी की जानी है), अतिरिक्त अन्वेषण (90 दिनों में पूरा किया जाना है), पीड़ित और अभियुक्त को दस्तावेज़ों का दिया जाना (14 दिनों के भीतर), विचारण के लिए मामले की प्रतिबद्धता (90 दिनों के भीतर), उन्मोचन आवेदन दाखिल करना (60 दिनों के भीतर), आरोप विरचित करना (60 दिनों के भीतर), निर्णय का सुनाया जाना (45 दिनों के भीतर) और दया याचिका दाखिल करना (राज्यपाल के समक्ष 30 दिन और राष्ट्रपति के समक्ष 60 दिनों के भीतर)।

ii. त्वरित अन्वेषण : नई विधियों ने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के अन्वेषण को प्राथमिकता दी है, जिससे सूचना दर्ज होने के दो महीने के समय के भीतर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

iii. सीमित स्थगन: समय पर न्याय प्रदान करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने के लिए न्यायालय अधिकतम दो स्थगन दे सकता है ।

****